

## वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – रोगी कल्याण समिति

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – रोगी कल्याण समिति

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – 6.1 – 6.4 (PART-B)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

राज्य के सभी स्तर के अस्पतालों यथा- सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराये जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, अस्पताल के रख-रखाव एवं अस्पताल के विकास के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है।

रोगी कल्याण समिति के गठन में शामिल पदेन एवं नामित सभी सदस्यों की सूची निम्न प्रकार है-

1. सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम :-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	सिविल सर्जन	अध्यक्ष
2.	नगर निगम / नगर पंचायत / नगर पालिका के अध्यक्ष	सदस्य
3.	जिला परिषद के द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
7.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
8.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
9.	उपाधीक्षक	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
10.	जिला आई. एम. ए. के अध्यक्ष	सदस्य
11.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत उस क्षेत्र के एम.एन.जी.ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य

2. अनुमंडलीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम:-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	अनुमंडल पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
3.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य




7.	अधिसूचित क्षेत्र / नगरपालिका के अध्यक्ष	सदस्य
8.	अधिसूचित क्षेत्र / नगरपालिका के नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
9.	अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
10.	अनुमंडल स्तर पर पी.एम.सी. के सदस्य	सदस्य
11.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन. जी. ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	चिकित्सक, देशी चिकित्सा	सदस्य

3. रेफरल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम :-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	अनुमंडल पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
3.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
7.	अधिसूचित क्षेत्र / नगरपालिका के अध्यक्ष	सदस्य
8.	अधिसूचित क्षेत्र / नगरपालिका के नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
9.	अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
10.	अनुमंडल स्तर पर पी.एम.सी. के सदस्य	सदस्य
11.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन. जी. ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	चिकित्सक, देशी चिकित्सा	सदस्य

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम :-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रखंड प्रमुख	सदस्य
3.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
4.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (महिला)	सदस्य
5.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
6.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
7.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष)	सदस्य
8.	अस्पताल के दूसरे वरिष्ठतम चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
9.	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन. जी. ओ. के एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	चिकित्सक, देशी चिकित्सा	सदस्य

  
21/16/14




5. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिति के पदेन एवं नामित सभी सदस्यों का पदनाम :-

क्रमांक	पदनाम	समिति के पद
1.	चिकित्सा पदाधिकारी (MBBS)	अध्यक्ष
2.	आयुष चिकित्सक	सदस्य सचिव सह कोषाध्यक्ष
3.	सरपंच	सदस्य
4.	नर्स ग्रेड 'ए' / ए०एन०एम०	सदस्य
5.	आशा	सदस्य
6.	ऑगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका	सदस्य
7.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष) (उक्त अस्पताल के आच्छादन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्ति)	सदस्य
8.	लाभार्थियों में से नामित सदस्य (पुरुष) (उक्त अस्पताल के आच्छादन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक- स्वास्थ्य क्षेत्र से सेवानिवृत्त कर्मी को प्राथमिकता)	सदस्य
9.	लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	स्वयं सहायता समूह (SHG) का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	स्थानीय महादलित विकास मित्र	सदस्य
12.	वार्ड सदस्य	सदस्य
13.	अस्पताल भवन निर्माण के लिए जमीन दानकर्ता द्वारा नामित उसके परिवार का सदस्य	सदस्य
14.	अस्पताल के विकास के लिए दान दाता (50,000/- या अधिक) द्वारा नामित उसके परिवार सदस्य	सदस्य

निबंधित रोगी कल्याण समितियों को राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से वर्ष में एक बार Seed Money के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाती है, जिसका उपयोग सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराये जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, अस्पताल के रख-रखाव एवं अस्पताल के विकास के कार्यों में किया जाना है ।

रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत आने वाले सभी क्रियाकलापों का क्रियान्वयन अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सभी सदस्यों के द्वारा किया जाना है। सफलतापूर्वक इसके क्रियान्वयन से जिला स्तर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के सभी मरीजों को अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं को मुहैया कराया जा सकता है, साथ ही अस्पताल की बुनियादी व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा सकता है ।

इसके परिणामों के कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक महीने एवं आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति की अध्यक्षता में बैठक करने हेतु नियमावली में उल्लेखित है, जिससे की रोगी को मिलने वाली सुविधा एवं होने वाले असुविधा का मूल्यांकन किया जा सके । साथ ही यदि अस्पताल की व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करना हो तो बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके ।

  
21/10/21



इकाई राशि (रु0 लाख में) -

क्रम सं०	अस्पताल का नाम	एक इकाई को आवंटित की जाने वाली राशि
1.	सदर अस्पताल	रुपये - 5,00,000/-
2.	अनुमंडलीय अस्पताल	रुपये - 1,00,000/-
3.	रेफरल अस्पताल	रुपये - 1,00,000/-
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रुपये - 1,00,000/-
5.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रुपये - 1,00,000/-
एक इकाई को प्रति वर्ष आवंटित की जाने वाली राशि		

वित्तीय दिशा निर्देश -


रोगी कल्याण समिति को प्रति वर्ष उक्त दर से राशि Seed Money के रूप में आवंटित की जानी है। इसे खर्च करने हेतु रोगी कल्याण समिति को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है, जो निम्न प्रकार है-

**रोगी कल्याण समिति के वित्तीय अधिकार**

क्रमांक संख्या	रोगी कल्याण समिति का स्तर	व्यय का प्रकार	वित्तीय क्षमता एक बार में (व्यय करने की अधिकतम सीमा)	निविदा प्रक्रिया	राशि निर्गत करने हेतु उपयुक्त अधिकारी	चेक पर हस्ताक्षर करने एवं राशि निर्गत करने हेतु उपयुक्त अधिकारी	
						1	2
1.	जिला रोगी कल्याण समिति	(क) अस्पताल संबंधित सफाई, बागवानी, कपड़ा, धुलाई, कैंटिन, जेनरेटर, सेवा में, भाड़े पर एम्बुलेन्स करने प्राप्त करने जैसी सेवाओं को बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाना।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि० पदा०
			ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असैनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 1,00,000/- से 2,00,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) असैनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iv) 2,00,000/- से 5,00,000/- तक	iv) राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iv) रोगी कल्याण समिति	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
		(ख) अस्पताल की मरम्मती, पुनारे, बिजली से संबंधित कार्यों (खरीददारी एवं मरम्मती), कोल्डचेन उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मती, परिसर में जल आपूर्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के सिविल वर्क्स। इसमें अस्पतालों के आवासीय परिसर भी सम्मिलित होंगे।	i) 15,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक	उपाधीक्षक	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि० पदा०
			ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	ii) तीन कोटेशन के आधार पर	ii) असैनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 1,00,000/- से 3,00,000/- तक	iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iii) असैनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
			iii) 3,00,000/- से 5,00,000/- तक	iii) राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	iv) असैनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक
		(ग) अनुबंध के आधार पर मानव संसाधनों (डाक्टर, नर्स, आगनबाड़ी सेविका में, कम्पाउन्डर, अन्य तकनीकी पारा मेडिको को छोड़कर) की सेवाएँ (एक बार में ग्यारह माह की अवधि से अधिक के लिए मान्य नहीं) पर	i) श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम परितोषित अथवा स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर के आधार पर।	i) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) असैनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन	उपाधीक्षक

(238)

( )

  
 21/10/11




		होने वाले व्यय। उपर्युक्त मानव संसाधन में अस्पताल की सुरक्षा हेतु गार्ड, एम्बुलेन्स हेतु गाड़ियों ड्राइवर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सेवा जो रोगी कल्याण समिति के दायरे से बाहर हो सम्मिलित होगी।					
		(घ) एम्बुलेन्स एवं अस्पताल के अन्य वाहनों की मरम्मती, अस्पताल के सभी उपकरणों की मरम्मती, अस्पताल के विस्तर अथवा अन्य फर्नीचरों एवं हार्डवेयर की मरम्मती।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक iii) 1,00,000/- से 5,00,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर iii) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) जिला उपाधीक्षक ii) असेनिक शल्य चिकित्सक iii) रोगी कल्याण समिति	उपाधीक्षक सिविल सर्जन सिविल सर्जन	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10 उपाधीक्षक उपाधीक्षक
		(ङ) छपाई जैसे अस्पताल हेतु रजिस्टर, मरीजों के लिए पूर्ण, आफिस की स्टेशनरी इत्यादि।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर	i) असेनिक शल्य चिकित्सक ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन सिविल सर्जन	उपाधीक्षक उपाधीक्षक
		(च) विज्ञापनों पर होने वाले व्यय, टेकेदारों को अग्रिम, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बीमा अथवा सुरक्षा राशि को लौटाना, अन्य व्यय जैसे प्रशिक्षणों अथवा कार्यशालाओं पर होने वाले व्यय, ऑडिट पर होने वाले व्यय।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 1,50,000/- तक	i) बिल के आधार पर ii) वास्तविक बिल के आधार पर	i) असेनिक शल्य चिकित्सक ii) असेनिक शल्य चिकित्सक	सिविल सर्जन सिविल सर्जन	उपाधीक्षक उपाधीक्षक
		(छ) अन्य कोई व्यय जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हो।	i) 5,000/- तक ii) 15,000/- से ऊपर 1,00,000/- तक	i) वास्तविक व्यय के आधार पर ii) वास्तविक व्यय के आधार पर	i) असेनिक शल्य चिकित्सक ii) रोगी कल्याण समिति	सिविल सर्जन सिविल सर्जन	उपाधीक्षक उपाधीक्षक
2.	अनुमण्डलीय अस्पताल/ रेफरल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	(क) अस्पताल संबंधित सफाई, बागवानी, कपड़ा, धुलाई, कैंटिन, जेनरेटर, सेवा में, भाड़े पर एम्बुलेन्स करने प्राप्त करने जैसी संवाओं को बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाना।  (ख) अस्पताल की मरम्मती, पुचारे, बिजली से संबंधित कार्यों (खरीददारी एवं मरम्मती), कोल्डचेन उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मती, परिसर में जल आपूर्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के सिविल वर्क्स। इसमें अस्पतालों के आवासीय परिसर भी सम्मिलित होंगे।  (ग) अनुबंध के आधार पर मानव संसाधनों (डाक्टर, नर्स,	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 50,000/- तक iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्र0चि0पदा0 iii) रोगी कल्याण समिति	उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0 अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्र0चि0पदा0 अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्र0चि0पदा0	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10 उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0 उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0 उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0
			i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 50,000/- तक iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर iii) स्थानीय अखबारों में प्रकाशित निविदा के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्र0चि0पदा0 iii) रोगी कल्याण समिति	उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0 अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्र0चि0पदा0 अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्र0चि0पदा0	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10 उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0 उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0
			i) श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित	i) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) रोगी कल्याण समिति	अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्र0चि0पदा0	उपाधीक्षक/ प्र0चि0पदा0



	आंगनबाड़ी सेविका में, कम्पाउन्डर, अन्य तकनीकी पारा मेडिको को छोड़कर) की सेवायें (एक बार में ग्यारह माह की अवधि से अधिक के लिए मान्य नहीं) पर होने वाले व्यय। उपर्युक्त मानव संसाधन में अस्पताल की सुरक्षा हेतु गार्ड, एम्बुलेन्स हेतु गाड़ियों ड्राइवर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सेवा जो रोगी कल्याण समिति के दायरे से बाहर हो सम्मिलित होगी।	न्यूनतम परितोषित अथवा स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर के आधार पर।				
(घ)	एम्बुलेन्स एवं अस्पताल के अन्य वाहनों की मरम्मती, अस्पताल के सभी उपकरणों की मरम्मती, अस्पताल के बिस्तर अथवा अन्य फर्नीचरों एवं हार्डवेयर की मरम्मती।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 50,000/- तक iii) 50,000/- से 1,50,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर iii) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10 iii) रोगी कल्याण समिति	उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10
(ङ)	छपाई जैसे अस्पताल हेतु रजिस्टर, मरीजों के लिए पूजे, आफिस की स्टेशनरी इत्यादि।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 1,00,000/- तक	i) तीन कोटेशन के आधार पर ii) तीन कोटेशन के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10
(च)	विज्ञापनों पर होने वाले व्यय, ठेकेदारों को अग्रिम, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बीमा अथवा सुरक्षा राशि को लौटाना, अन्य व्यय जैसे प्रशिक्षणों अथवा कार्यशालाओं पर होने वाले व्यय, ऑडिट पर होने वाले व्यय।	i) 15,000/- तक ii) 15,000/- से 50,000/- तक	i) वास्तविक बिल के आधार पर ii) वास्तविक बिल के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10
(छ)	अन्य कोई व्यय जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हो।	i) 5,000/- तक ii) 5,000/- से 50,000/- तक	i) वास्तविक व्यय के आधार पर ii) वास्तविक व्यय के आधार पर	i) उपाधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ii) रोगी कल्याण समिति	उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10 अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रोचि0पदा10	संबंधित अस्पताल में पदस्थापित वरीयतम चि0 पदा10 उपाधीक्षक / प्रोचि0पदा10

3. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति - इस स्तर के अस्पतालों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप ही वित्तीय अधिकार दिये गये हैं।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या एवं तिथि के साथ उल्लेखित करें)  
(क) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 23278 दिनांक 31.01.11

  
21/10/21

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम - जय प्रकाश सिंह, वरीय उप-समाहर्ता-सह-प्र० रोगी कल्याण समिति

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं० - कार्यालय - 7488270145  
मोबाईल - 9470003012